संख्याः ।।78 /कार्मिक–2/2005

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन ।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तरांचल शासन ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल ।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 30 मई, 2005

विषयः आपराधिक मामलों में दण्डित कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासन के समक्ष समय–समय पर यह शंका प्रकट की जाती रही है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी दाण्डिक न्यायालय द्वारा दोष सिद्व किया जाता है और वह इस दोषसिद्धि के विरूद्ध अपील करता है तब अपील पर फैसला होने के पूर्व अपील लम्बित रहने की स्थिति में अथवा अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील लम्बित रहने के दौरान दोषसिद्वि पर आधारित दण्डादेश स्थगित कर दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारी जमानत पर छूट जाता है तब क्या ऐसी स्थिति में अपील पर निर्णय होने से पूर्व ऐसे कर्मचारी को सेवा से पदच्युत अथवा हटाया जाना उचित एवं विधिपूर्ण होगा?

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जब किसी सरकारी कर्मचारी को दाण्डिक न्यायालय द्वारा दोषसिद्व किया जाता है तो अनुशासनिक प्राधिकारी के लिए, यह दोषसिद्धि, सरकारी कर्मचारी के दुराचरण का समुचित प्रमाण होता है । इसके उपरान्त उन्हें यह विनिश्चय करना होता है कि क्या ऐसे सरकारी कर्मचारी जिसके आचरण के कारण उसे आपराधिक मामलों में दोषसिद्ध किया गया है, विभागीय स्तर पर उसे दण्डित किया जाए? यदि हॉ, तो कौन सा दण्ड अधिरोपित करना समीचीन होगा । इसका विनिश्चय करने के प्रयोजन हेतु अनुशासनिक प्राधिकारी, दाण्डिक न्यायालय के निर्णय का अवलोकन करेंगे तथा उस मामलें के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करेंगे । ऐसा विचार करते समय अनुशासनिक प्राधिकारी विभिन्न बातों पर, जैसे उस सरकारी कर्मचारी का सम्पूर्ण आचरण, उसके द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता, उस दुराचरण से प्रशासन पर पड़ने वाले प्रभाव की संभाव्यता, क्या अपराध, जिसके लिए दोषसिद्धि की गई है, तकनीकी या नगण्य प्रकृति का था? तथा उस मामले की लघुकारी परिस्थितियां, यदि कोई हो, विचार करेंगे और तदोपरान्त वह 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 311(2) के द्वितीय परन्तुक के खण्ड (क) के अधीन सरकारी कर्मचारी को सुनवाई का अवसर दिए बगैर, दण्डादेश कर सकते है ।

3– यदि दाण्डिक न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर सरकारी कर्मचारी ने अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की हो एवं अपीलीय न्यायालय ने दण्डादेश का कार्यान्वयन स्थगित करते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जो तब भी ऐसे सरकारी कर्मचारी की दोषसिद्धि बनी रहती है, समाप्त नहीं होती है एवं उसकी दोषसिद्धि के आधार पर उसके विरूद्ध की गयी कोई कार्यवाही सिर्फ इस कारण से दूषित नहीं होगी कि अपीलीय न्यायालय ने दण्डादेश का कियान्वयन स्थगित कर दिया था ।

4– अतः विधिक स्थिति यह है कि जब सरकारी कर्मचारी को दाण्डिक न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि किया जाय तब रिवीजन या अपील में पारित होने वाले निर्णय की प्रतीक्षा किए बिना अथवा अपील दायर होने की प्रतीक्षा किए बिना अथवा अपील लम्बित रहने के दौरान अपीलीय न्यायालय द्वारा दण्डादेश स्थगित किये जाने एवं ऐसे सरकारी कर्मचारी को जमानत पर रिहा करने के बावजूद भी ऐसे सरकारी कर्मचारी को सेवा से पदच्युत (dismiss) अथवा हटाया (remove) जा सकता है । यदि अपीलीय न्यायालय दोषसिद्धि के निर्णय को अपास्त करके ऐसे सरकारी कर्मचारी को दोषमुक्त कर दे तब तद्नुसार विभागीय स्तर पर पारित दण्डादेश को भी अपास्त किया जाना होगा एवं सरकारी कर्मचारी, सेवा में बहाल होने पर सभी परिणामी सुविधाएं पाने का हकदार होगा । यदि अपील का निर्णय कर्मचारी के विरूद्ध होता है और दोषसिद्धि बनी रहती है तब ऐसी दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप अपील के लम्बित रहते हुए जो विभागीय दण्डादेश पारित किए गए हो, वह यथावत बने रहेंगे ।

5– अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया आपराधिक मामलों में दण्डित कर्मचारियों के सम्बन्ध में उपर्युक्त विधिक स्थिति से कृपया अपने अधीनस्थ सभी अनुशासनिक प्राधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(नृप सिंह नेपलच्याल)
प्रमुख सचिव ।

संख्याः ११७९ (1)/कार्मिक–2/2005,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषितः–

1– मण्डलायुक्त कुमायूँ/गढ़वाल ।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
3– सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल ।
4– सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
5– गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
संयुक्त सचिव ।

GOMK